(वाद संख्या–3933/17)

26.11.2019

परिवादी, हरि प्रसाद बिंजराजका, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना। परिवादी की ओर से एक याचिका भी दाखिल की गयी।

प्रस्तुत परिवाद, परिवादी द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को, लक्ष्मी नारायण रोड, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–302, खेसरा संख्या–244 स्थित नगर निगम की गली को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को दिये गये आवेदन की प्रतिलिपि के आधार पर संस्थित किया गया है जिसकी एक प्रति परिवादी द्वारा लोकायुक्त, बिहार, पटना को भी दी गयी थी।

परिवादी का कथन है कि लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा उसके उपरोक्त कथित परिवाद–पत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद कार्रवाई प्रारम्भ की गयी तथा लोकायुक्त, बिहार, पटना के निर्देश पर प्रश्नगत गली को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया तथा नाला में पानी के बहाब को भी बहाल कर दिया गया। परिवादी का यह भी कथन है कि उपरोक्त नाला के अतिक्रमणकारी, मातीउर रहमान व फूल मोहम्मद, की ओर से एक गलत 'स्वत्ववाद', मुजफ्फरपुर स्थित सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा खर्चे के साथ खारिज भी कर दिया गया है। परिवादी का आगे कथन है कि अभीतक अतिक्रमणकारी मोतीउर रहमान व फूल मोहम्मद द्वारा गली को पूर्णरूपेण अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला विधि द्वारा गठित लोकायुक्त द्वारा सुनवाई की गयी है तथा लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा इस पर समय–समय पर सुनवाई कर मामले को निष्पादित कर दिया गया है। पुनः उसी मामले को आयोग द्वारा सुनवाई व जांच किया जाना विधिनुसार उचित नहीं है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>